

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2122/10920/JNP/JAUNPUR/26/CFO

दिनांक : 23-11-2021

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **MICROTEK EDUCATIONAL SOCIETY SCHOOL AND COLLEGE**
पता, **NIL, MAUJA- MURTAZABAD PARGANA- KERAKAT, तहसील -KERAKAT, JAUNPUR** प्लाट एरिया
10000.00 sq.mt (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **1280.00** (वर्ग मीटर),

ब्लॉकों की संख्या - 1 जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	वेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
1	2	0	9.25 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **MICROTEK EDUCATIONAL SOCIETY SCHOOL AND COLLEGE** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक **26-11-2021** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **GAURAV SRIVASTAVA MO-9792455666** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **26-11-2021** से **25-11-2024** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **MICROTEK EDUCATIONAL SOCIETY SCHOOL AND COLLEGE** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **MICROTEK EDUCATIONAL SOCIETY SCHOOL AND COLLEGE** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

Note : 1. स्थापित अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखना होगा। 2. निकास मार्ग सदैव अवरोधमुक्त रखना अनिवार्य है। 3. प्रत्येक 03 माह पर मॉक ड्रिल कराया जाना अनिवार्य है। 4. शासनादेश संख्या: 18/छ-पू0-8-2021/301(34)/2016टी0सी0 गृह(पुलिस) अनुभाग-8 लखनऊ: दिनांक 26-11-2021 में अंकित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत।



हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

ANIMESH SINGH

A78FC8266B4067731A385857559B072261C8973A

26-11-2021

निर्गत किये जाने का दिनांक : 26-11-2021
स्थान : JAUNPUR

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.